FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** STATE VIGILANCE AND **P.S.(थाना):** MANDI **Year(वर्ष):** 2023
 FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0005 **Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):** 18/10/2023 03:47 PM

2.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
2	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	6
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	120-B
5	IPC 1860	467
6	IPC 1860	468
7	IPC 1860	471

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
 1. **Day(दिन):** Intervening Day **Date From(दिनांक से):** 01/01/2016 **Date To(दिनांक तक):** 31/12/2020
 Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 12:00 AM **Time To (समय तक):** 12:00 AM

 (b) **Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date(दिनांक):** 18/10/2023 **Time (समय):** 02:55 PM

 (c) **General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ):** **Entry No.(प्रविष्टि सं.):** 007 **Time (समय):** 18/10/2023 02:55 PM

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
 1. (a) **Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-EAST, 130 Km(s) **Beat No(बीट सं.) :**
 (b) **Address(पता):** MAINDHI, KARSOG
 (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
 Name of P.S(थाना का नाम): **District(State)(ज़िला(राज्य)):**
6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
 (a) **Name(नाम):** SUB. INSP. SANJAY KUMAR
 (b) **Father's Name (पिता का नाम):**
 (b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**
 (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष):** (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA
 (e) **UID No (यूआईडी सं.):**
 (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
 Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
 (g) **Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)

 (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

1	**Present Address**	VILLAGE-IO PS SV AND ACB MANDI, TEHSIL-MANDI, DISTRICT-MANDI, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	**Permanent Address**	VILLAGE-IO PS SV AND ACB MANDI, TEHSIL-MANDI, DISTRICT-MANDI, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): **Mobile (मोबाइल**

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Relative's Name(रिश्तेदार का नाम)**	**Present Address (वर्तमान पता)**	**Parmanent Address (स्थाई पता)**
1	ANANT RAM	Father:SH. TULA RAM	VILLAGE-AP VICE PRADHAN GP MAINDHI,TEHSIL-KARSOG,PS-KARSOG,DISTRICT-MANDI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-AP VICE PRADHAN GP MAINDHI,TEHSIL-KARSOG,PS-KARSOG,DISTRICT-MANDI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
2	PADAM DEV		VILLAGE-TECHNICAL ASSISTANT GP MAINDHI,TEHSIL-KARSOG,PS-KARSOG,DISTRICT-MANDI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-TECHNICAL ASSISTANT GP MAINDHI,TEHSIL-KARSOG,PS-KARSOG,DISTRICT-MANDI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
3	RAJINDER KUMAR		PS-KARSOG,DISTRICT-MANDI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-SECRETARY GP MAINDHI, TEHSIL-KARSOG,PS-KARSOG, DISTRICT-MANDI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category (संपत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ती के प्रकार)**	**Nature Property (प्रकृति संपत्ति)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))**

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण न॰, यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)**

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

निवेदन है कि पुलिस थाना रा0स0एंव0भ्र0रोधी0ब्यूरो मण्डी में शिकायतपत्र संख्या SV & ACB(R/CR)). Comp. /CR Mandi/02/23-2588 दिनांक 02.02.2023 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतर्कता मुख्यालय शिमला व पृष्ठांकन संख्या 747 दिनांक 06.02.23 कार्यालय पुलिस अधीक्षक रा0स0एंव0भ्र0रोधी0ब्यूरो (मध्य खण्ड) मण्डी से बराये जांच हेतु प्राप्त थाना हुआ था । जो शिकायतपत्र में शिकायतकर्ता श्री मनसा राम पुत्र श्री मान सिंह गांव सेरटी डा0 मैंढी तहसील करसोग जिला मण्डी (हि0प्र0) ने आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत मैंढी में वर्ष 2016 से 2020 तक 5 वर्षो के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन प्रधान अनंत राम , राजेन्द्र कुमार सचिव तथा पदम देव तकनीकी सहायक ग्राम पंचायत मैंढी ने मिलीभगत करके करीब 60 /70 विकास कार्यो में करीब 48,51,931/- रुपये का गवन किया है । इस शिकायतपत्र की जांच उप0 नि0 संजय कुमार , जांच अधिकारी पुलिस थाना रा0स0एंव0भ्र0रोधी0ब्यूरो मण्डी द्वारा अम्ल में लाई गई । जिसने शिकायतपत्र की जांच पूर्ण करने के उपरान्त उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के खिलाफ जेर धारा 420, 120-B, 467, 468, 471 IPC Sec 6 of HPPSCP Act 1983 & Sec 13 (i) (c) of PC Act 1988 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के लिए सतर्कता मुख्यालय शिमला के लिये सिफारिश की थी। जो दिनांक 11-10-2023 को कार्यालय पुलिस अधीक्षक रा0स0एंव0भ्र0रोधी0ब्यूरो (मध्य खण्ड) मण्डी से एक पत्र संख्या SV & ACB (R-CR-HQ) Comp. No. 02/2023 (MND)-21609 dated 06/10/23 सतर्कता मुख्यालय रा0 स0 एवं भ्र0 रो0 ब्यूरो शिमला मार्फत कार्यालय पुलिस अधीक्षक SV & ACB(CR) मंड़ी पृष्ठांकन संख्या 7928 दि0 09-10-23 तथा दिनांक 16.10.2023 को एक अदद पत्र संख्या SV & ACB (R-CR-HQ)Comp. No. 02/2023(MND)-22131 dated 11/10/23 मार्फत कार्यालय पुलिस अधीक्षक SV & ACB(CR) मंड़ी पृष्ठांकन संख्या 8074 दिनांक 16.10.2023 के थाना में डाक द्वारा मय जांच रिपोर्ट 02 फाईलस (151 व 248 वर्क) के प्राप्त हुआ जिसमें शिकायत पत्र संख्या 02/2023 की अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर अनन्त राम पूर्व प्रधान (वर्तमान उप प्रधान) ग्राम पंचायत मैंढी, राजेन्द्र कुमार सचिव ग्राम पंचायत मैंढी तथा पदम देव तकनीकी सहायक ग्राम पंचायत मैंढी के खिलाफ अभियोग दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुये हैं । जो जांच रिपोर्ट का विवरण इस प्रकार से है:- शिकायतपत्र की जांच के दौरान सर्वप्रथम मौका पर शिकायतकर्ता के कथन अभिलिखित किए गए जिसमें कथन में तहरीर करवाया कि ग्राम पंचायत मैंढी में वर्ष 2016

से 2020 तक 5 वर्षो के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन प्रधान अनंत राम व अन्य ने मिलीभगत करके करीब 60 /70 विकास कार्यों में करीब 48,51,931 रुपये का गवन किया है परंतु कुछ कार्य जो भौतिक तौर पर मौका पर बिल्कुल ही क्रियान्वित नहीं है जिनकी जांच हेतु शिकायतकर्ता सहमत हुआ। दौराने जांच शिकायतकर्ता के कहे अनुसार व उसकी निशान देही पर कनिष्ठ अभियंता खंड विकास करसोग जो कि ग्राम पंचायत मैंढी का क्षेत्राधिकार उसके अधीन है , विकास कार्यों का निरीक्षण करने हेतु शामिल जांच किया। दौराने जांच पाया गया की मुबलिक □3,00,000/- रुपये जो 14वें वित्त आयोग द्वारा सड़क निर्माण गांव टिकरी से मोहरीधार हेतु स्वीकृत हुए। पंचायत तत्कालीन प्रधान द्वारा व अन्य ने मिलीभगत करके जाली बिल वाउचर व मस्टरोल तैयार करके मु0 3,00,000/- लाख रुपये हड़प कर लिए जाना पाए गये हैं जिसमें तत्कालीन प्रधान श्री अनंत राम तकनीकी सहायक श्री पदम देव द्वारा जाली मूल्यांकन रिपोर्ट व MBs, भरकर जाली भुगतान Firm S.K. Construction को कुल मु0 1,47,750/- रुपये व जाली मस्ट्रोल जिन पर कार्य करने वाले श्रमिकों के हस्ताक्षर भी नहीं है को मु0 1,46,250/- रुपये कुल 2,94,000/- रुपये का भुगतान करके यह राशि हड़प किया जाना पाई गई है। जब कि दौराने निरीक्षण कोई भी सड़क का निर्माण न होना पाया गया है मौका पर फोटोग्राफी करके कनिष्ठ अभियंता इंद्रदेव सिंह व दो साक्षियों के कथन अभिलखित किये। दौराने जांच शिकायतकर्ता की निशानदेही पर विकास कार्य सड़क निर्माण गांव दलीयुग से चमखना के लिए मु0 2,50,000/-BASP Head से स्वीकृत हुऐ इस निर्माण कार्य में भी जेसीबी चार्ज मु0 1,23,125/- Firm Parma nand S/O Puran Chand व मु0 1,22,140/- इसी फर्म पर जेसीबी के कुल मूल्य 2,45,265/- रु हड़प किये जाना पाये जा रहे हैं क्योंकि बिल वाउचर, मस्टरोल MBs, प्राकलन व मूल्यांकन रिपोर्ट जाली पाए जा रहे हैं। दौराने निरीक्षण फोटोग्राफी व कथन साक्षीयान यह सडक भी मौका मौजुद नही है। शिकायत कर्ता की निशानदेही व दौराने निरीक्षण मौका गांव नोगा में सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु मुल्य 2,50,000/- लाख रुपये स्वीकृत हुए है। मौका पर सामुदायिक भवन निर्मित पाया गया है। परन्तु इस भवन में कोई भी सामुदायिक भवन का बोर्ड स्थापित न किया गया है व यह एक व्यक्ति परसराम को निवास हेतू दिया गया है जिसकी फोटाग्राफी की गई है यह निर्माण भी सन्देह के घेरे में दौराने जाँच पाया गया है। दौराने जाँच शिकायत कर्ता की निशान देही पर गांव जौगं में कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य साक्षियों सहित पानी का स्त्रोत बाबड़ी का निरिक्षण किया गया जिसके लिए मु0 35,000/- स्वीकृत हुये है। परन्तु इस बाबड़ी की फोटोग्राफी व कथन स्थानीय व्यक्ति के अनुसार कोई भी पूर्ण निर्माण ना किया गया है। जो इस बाबड़ी की मुरमत के लिए भी मु0 35,000/- के बिल वाउचर व मस्ट्रोल , MBs प्राकलन व मुल्याकंन रिपोर्ट जाली पाये गये है। इसके अतिरिक्त दौराने जांच शिकायतकर्ता के कहे अनुसार गांव सिंयुज में बाबडी के निर्माण हेतु मु0 35,000/- रुपये स्वीकृत हुए हैं। कथन साक्षीयान अनुसार इस बाबड़ी की मुरम्मत हेतु मात्र केवल 2 बोरी सीमेन्ट का प्रयोग किया गया है और 35,000/- रुपये के वाउचर प्रधान तत्कालीन अनंत कुमार द्वारा अपने पिता तुला राम, भाई किशोरी लाल के नाम डालकर व तकनीकी T.A पदमदेव द्वारा जाली MBs प्राकलन व मूल्याकन रिपोर्ट देकर इस राशि को भी हड़प किया जाना पाया जा रहा है। जबकि मुताबिक कथन साक्षीयान तुला राम द्वारा उस दुर्गम क्षेत्र में कभी कार्य नही किया है। दौराने जांच शिकायतकर्ता की निशादेही पर कनिष्ठ अभियन्ता के सामने एंबुलैंस रोड गांव सलाणा से नौगा जिसके लिए मूल्य 4,00,000/- लाख रुपयेकी राशि स्वीकृत हुई है। मुताबिक बिल वाउचर मौका निरीक्षण पर इस समय इस सड़क का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग करवा रहा है , जिसके बारे पीडब्लू विभाग से स्वीकृत राशि व कार्य जो भूतकाल में पंचायत द्वारा क्रियान्वित किया था के बारे में स्पष्ट स्थिति प्राप्त करना शेष है क्योकि जो कार्य पीडब्लूडी विभाग द्वारा किया जा रहा है,क्या इसका मुल्याकंन कम करके दर्शाया या नही इस निर्माण कार्य में भी तत्कालीन प्रधान द्वारा मस्ट्रोल दिनांक 23.05.2018 में एक सेवानिवृत अधीक्षक स्वास्थ्य विभाग करसोग का जाली नाम दर्शाकर मु0 6300/- रुपये की राशि हड़प की है। जो कि एक सरकारी लोक सेवक सेवानिवृत मजदूरी के लिए सक्षम नही है। इसके अतिरिक्त मुताबिक आरोप शिकायकर्ता के तत्कालीन प्रधान अनंतराम द्वारा करीब 15,00,000/-लाख रुपयेके जाली बिल वाउचर स्वंय हस्ताक्षरित उसके पिता श्री तुला राम के नाम से हड़प किये गये हैं। इन बिल वाउचर की सत्यापित प्रतियां हासिल की गई जिसकी संवीक्षा उपरान्त पाया कि करीब-करीब मु0 10,11,744/- रुपये के बिल वाउचर वर्ष 2016-17 में अपने पिता तुला राम के जाली हस्ताक्षर करके हड़प किए जाना पाए जा रहे है क्योकि मुताबिक कथन साक्षीयान तुलाराम ने कभी भी कार्य नही किया है। तुला राम एक अनपढ़ व्यक्ति है और इस समय लगभग 75 वर्ष की आयु है। इतने दुर्गम क्षेत्र में इसके द्वारा कार्य किया जाना असंभव है। इसके अतिरिक्त मु0 25,268/- रुपये उक्त तत्कालीन प्रधान द्वारा अपने पिता तुला राम के नाम पंचायत में चाय पान के जाली बिल डाले जाने पाए गये, जबकि मुताबिक कथन साक्षीयान तुला राम कभी भी चाय की दुकान इत्यादि नही करता पाया गया है। दौराने जांच शिकायतकर्ता के आरोप अनुसार प्रधान तत्कालीन अनंत राम के भाई किशोरी लाल द्वारा Kishori GOODS CARRIER के प्रस्तुत बिलो वाउचरो की संविक्षा की गई, पाया कि किशोरी लाल ने वर्ष 2016-19 तक एक जीप नंबर एचपी 30-3692 रखी थी और वह भी पंचायत विकास कार्यो में रेत सीमेन्ट, बजरी , इंटे इत्यादि का ढुलान करता है परन्तु इसके लिए उसके नाम से जाली बिल वाउचर डाल कर कुल 5,04,216/- लाख रुपये की राशि का कार्य दर्शाया है जो कि यह बिल बिना डेट बिना हस्ताक्षर की राशि जारी होना

पाई है। इन बिलो का अध्ययन करने पर पाया कि जीप में एक दिन में 725 फुट रेत का बिल व अन्य तिथियों को जीप में 150/200 फुट रेत बजरी की Payment करना दर्शाई है जो कि यह बिल वाउचर भी संदेह के दायरे में आना पाये जा रहे है। जब कि जीप का भार उठाने की क्षमता केवल 40/50 फुट ही है पंचायत सचिव राजेन्द्र कुमार का कर्तव्य निर्वहन करते हुए cash Book से जाली बिलो का भुकतान करता रहा है। इसने इस सम्बन्ध में अपने उच्च अधिकारी को सूचित नही किया है कि जीप में इतनी अधिक मात्रा एक दिन में भरी जा सकती है। जिससे सम्बन्धित इन बिलो के भुकतान में मिली भक्त पाई जाकर इसके द्वारा भी स्वंय व अन्य को सरकारी धन का दुरप्रयोग करवाकर अनुचित लाभ पंहुचाया जाना पाया गया है। दौराने जांच अनन्त कुमार तत्कालीन प्रधान वर्तमान (उप प्रधान) ग्राम पंचायत मैण्डी द्वारा विकास कार्यो में अपने चाचा श्री दलपत पुत्र पोसु राम गांव नौगा मैण्डी तहसील करसोग जिला मण्डी जो कि अनपढ़ है के नाम पर खचरो पर ढुलवान के बिल वाउचर मु0 1,19,031/- लाख रुपये वर्ष 2016 से 2018 तक की राशि का भुगतान करना दर्शाया है जो यह राशियों का भुगतान भी संदेह के दायरे में आना पाया जा रहा है क्योंकि बिल वाउचरो पर दलपत की अपेक्षा किसी अन्य व्यक्ति इसके भतीजे अन्तराम आरोपी द्वारा ही हस्ताक्षर किये जाना पाया गया है । दौराने जाँच मुताबिक आरोप शिकायतकर्ता की गांव नौगा से टिकरी तक की सड़क का निमार्ण नही हुआ है। परन्तु यह विकास कार्य मौका पर पाया गया जिसके लिए BASP Head से मूल्य 4,00000/-लाख रुपये स्वीकृत हुऐ है। परन्तु इस सड़क निमार्ण कार्य में दिनांक 01.04.2018 से 11.04.2018 तक मुताबिक लोग बुक आफ Exca Vator Cum Loader “JCB”on hire Basis को लगातार प्रतिदिन 15 घंटे कार्य़ दर्शाकर मूल्य 1,48,735/- रुपये का व दिनांक 12.04.2018 से 30.04.2018 तक कुल 247 घंटे जिसमें भी JCB को लगातार प्रति दिन 15 घंटे कार्य करना दर्शाया है मु0 2,43,295/- का भुगतान करके प्रधान तत्कालीन अन्नत कुमार ,(वर्तमान उप प्रधान) व अन्य द्वारा मिली भगत करके वितीय अनिमिताएं करना पाई है। जबकि एक JCB दिन में 7 से 8 घंटे से उपर कार्य नही करती है। दौराने जाँच मुताबिक आरोप शिकायतकर्ता की गवर्नमेंट मिडिल स्कूल , थनाली डाकघर मैण्डी तह0 करसोग में भी तत्कालीन प्रधान व वर्तमान (उप प्रधान) द्वारा जाली मस्ट्रोल अपने परिवार तुला राम, दुर्गा देवी , दलपत, किशोरी, कृष्णा देवी चेतराम बन्ती देवी, रोशनी देवी व रुप दास के तैयार करके इस स्कूल में पलस्तर का कार्य करवाना दर्शाया है जबकि यह सभी व्यक्ति इस स्कूल से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर निवास करते हैं और इस दुर्गम क्षेत्र मे खड़े पहाड़ चढ़कर क्योंकि कोई बस सुविधा भी नहीं है कार्य करने में सक्षम नहीं है जिस पर युवराज ठाकुर के मौका पर कथन अभिलिखित किऐ जिसने बतलाया है कि यह विकास कार्य बिहारी मजदूरों द्वारा किया गया है और अनंत का परिवार कभी भी इस कार्य में नहीं देखा है। शिकायतपत्र की जांच करने के दौरान , शिकायतकर्ता के कथन अनुसार वर्ष 2016 से 2020 तक 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान करीब 60 से 70 विकासात्मक कार्यो में कुल मूल्य 48,51,931/- रु0 पंचायत मैण्डी द्वारा गवन किये गये है। परंतु वह Randomly 06 विकास कार्यो व तत्कालीन प्रधान व वर्तमान उप प्रधान अनंत कुमार द्वारा उसके पिता तुला राम, भाई किशोरीलाल व चाचा दलपत के प्रस्तुत बिल वाऊचरों की जांच हेतु सहमत हुआ जिस पर दौराने जाँच 6 विकासात्मक कार्यो का कनिष्ठ अभियन्ता इन्द्रदेव व अन्य साक्षियो के साथ मौका पर निरीक्षण किया दौराने निरीक्षण विकास कार्य सड़क निर्माण पहरा गांव टिकरी से मौहरी, गांव दंलिऊग से चमखना मौका पर निर्मित होना न पाई गई है। इन कार्यो से संबंधित दस्तावेज सचिव ग्राम पंचायत मैण्डी से प्राप्त किए। जिनमें पाया कि दोनों कार्य के निर्माण हेतु मु० 3,00000/- लाख रुपये प्रति कार्य स्वीकृत हुए। परंतु तत्कालीन प्रधान अनंत राम वर्तमान उपप्रधान द्वारा जाली दस्तावेज बिल वाउचर मस्टरोल तैयार करके तत्कालीन व तकनीकी सहायक श्री पदमदेव ग्राम पंचायत मैण्डी द्वारा जाली व झुठी M.B.s, प्राकलन व एवं मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की है। जल स्त्रोत बावड़ी गांव जौंग जो पूर्वजों के समय की गांव में स्थित पाई गई, परंतु इसके लिए भी मूल्य 35,000/- स्वीकृत करवा कर इसके भी जाली बिल वाउचर उक्त अनन्तराम द्वारा तैयार करके व तकनीकी सहायक पदमदेव द्वारा जाली M.Bs प्राकलन एवं मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करके कुल मु० 5,74,265/- रुपये तत्कालीन प्रधान अनन्त राम तकनीकी सहायक पदमदेव व तत्कालीन सचिव राजेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत मैण्डी द्वारा आपस मे मिलीभगत करके उक्त राशि का गवन किया जाना पाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दौराने जांच वर्ष 2016 से 2018 तक तत्कालीन प्रधान वर्तमान उपप्रधान अनन्तराम द्वारा अपने पिता तुलाराम के नाम विकासकार्यो मु० 10,11,744/- लाख के विल वाऊचर जिन पर जाली हस्ताक्षर तुला राम जोकि अनपड व्यक्ति है। किशोरीलाल तत्कालीन प्रधान वर्तमान उप प्रधान का सगा भाई के नाम पर किशोरी गुड्डु कैरियर की जीप में 1 दिन में 725 फुट, 200 फुट रेता वजरी जव की यह जीप करीब 30, 40 फुट वजन उठाने में सक्षम हैं के जाली विल वाऊचर करीव मु0 5,04,216/ लाख विना तिथी, विना हस्ताक्षर व अनंत राम का सगा चाचा दलपत जिसके नाम मु० 1,19,031/ लाख के जाली बिल वाऊचर जो कि दलपत अनपढ व्यक्ति है के जाली हस्ताक्षर करके कुल मु० 16,34,981 की वित्तीय अनिमियतायें व गांव जौग जल स्त्रोत बोवडी मु0 35,000 /- रुपये के जाली बिल वाऊचर जो कि मौका पर उक्त बावडी का कोई पुर्ननिर्माण न हुआ है व एक मस्ट्रोल दिनाक 1.06.2018 से 30.06.2018 हीरा सिंह सेवा निर्वत अधीक्षक स्वास्थय विभाग मु0 6300/- रुपये कुल मु0 41,300/- तत्कालीन प्रधान अनन्तराम (वर्तमान उपप्रधान)तकनीकी सहायक पदमदेव व पंचायत सचिव राजेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत मैण्डी द्वारा सरकारी पद दुरुपयोग करते

सरकारी धन का दुरुपयोग व मिलीभगत करके हड़प करना पाये जा रहे हैं। कथन शिकायतकर्ता विकासात्मक कार्यो का मौका निरीक्षण, फोटोग्राफी सचिव ग्राम पंचायत मैण्डी द्वारा प्रेषित दस्तावेज सत्यापित प्रतिलिपियों अभिलिखित कथनो का गैहन अध्यन करने के उपरान्त पाया गया कि ग्राम पंचायत मैण्डी तहसील करसोग के विकासात्मक कार्यों दो सड़क निर्माण गांव टिक्कर से मौहरी व दिलयु से चमखाना में जाली बिल वाऊचर जाली M.B.S. प्राकलन मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करके तत्कालीन प्रधान अन्नतराम वर्तमान उपप्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार, तकनीकी सहायक पदमदेव ने आपस में मिलीभगत करके सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए कुल मु0 5,74,265/- रुपये व जल स्त्रोत बावड़ी गांव जौंग के मूल्य 35,000/- रुपये पर जो कि मात्र केवल दस्तावेजो में ही पुन निर्माण दर्शाया है। व मस्ट्रोल दिनांक 1.06.2018 से 30.06.2018 से विकासात्मक कार्य Ambulance रोड गांव सलाणा से नौग सेवानिवृत्त अधीक्षक स्वास्थ्य विभाग हीरा सिंह के नाम मु0 6300/- रुपये उपरोक्त आरोपियो द्वारा उक्त राशि को आपस मे मिली भगत करके सरकारी धन का दुरुपयोग करने हेतू जाली बिल वाऊचर मस्ट्रोल, M.B.s प्राकलन य मुल्यांकन रिपोर्ट तैयर करके उक्त राशि हड़प करना पाई जा रही है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016 से 2018 तक तत्कालीन प्रधान अनन्त कुमार (वर्तमान उप प्रधान) सचिव राजेन्द्र कुमार तकनीकी सहायक पदमदेव द्वारा आपस मे मिलीभगत जालसालजी व सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए तुला राम, दलपत व किशोरी के जाली हस्ताक्षर करके विभिन्न विल वाउचरो कुल मु० 16,34,981/- रुपये सरकारी कोष से वितीय अनिमिताएं पाई जा रही है जिस पर तत्कालीन प्रधान अन्नतराम (वर्तमान उप प्रधान) सचिव राजेन्द्र कुमार व तकनीकी सहायक पदमदेव ग्राम पंचायत मैण्डी के विरुद्ध निम्न धारा 420, 120-B, 467, 468, 471 IPC Sec 6 of HPPSCP Act 1983 & Sec 13 (i) (c) of PC Act 1988 के अंतर्गत नियमित अभियोग पंजीकृत करने की संस्तुति की जाती है । कार्यवाही पुलिस- अन्तिम जांच रिपोर्ट व सतर्कता मुख्यालय शिमला से प्राप्त आदेशों के आधार पर तत्कालीन प्रधान अन्नतराम (वर्तमान उप प्रधान) ग्राम पंचायत मैंढी, राजेन्द्र कुमार पंचायत सचिव ग्राम पंचायत मैंढी व तकनीकी सहायक पदमदेव ग्राम पंचायत मैंढी के विरुद्ध जेर धारा 420, 120-B, 467, 468, 471 IPC Sec 6 of HPPSCP Act 1983 & Sec 13 (i) (c) of PC Act 1988 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज रजिस्टर थाना किया गया । FIR हजा की जरुरी प्रतियां CCTNS प्रिंटर के माध्य से निकाली गई। मुकदमा हजा विशेष नोईयत का है लिहाजा FIR को ही विशेष नोईयत फरमाया जाये । FIR हजा की जरुरी प्रतियां माननीय अदालत व अफसरान वाला की सेवा मे बजरिया वाहक भेजी जा रही है। मिसल मुकदमा तैयार करके आगामी तफतीश हेतु नि0 मुनीष कुमार के हवाले की जा रही है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है |):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का नाम): Munish Kumar **Rank (पद):** INSP. (Inspector)
No(सं.): **to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or**

(3) Refused investigation due to(जांच के लिए):
or (के कारण इंकार किया या)
Transferred to P.S.(थाना): **District(ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Kulbhushan Verma
Rank (पद): Addl. SP (Additional Superintendant of
No(सं.): NA

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
2	Male					
3	Male					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)